

न्यायालय नायब तहसीलदार भियाड, जिला वाडमेर  
राजस्व प्रकरण मामला संख्या 63/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956  
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य  
जरिये पटवारी राजबेरा

ताजाराम पिता डालू राम  
जाति जाट निवासी राजबेरा।

“निर्णय”

दिनांक:-20.06.2025

पत्रावली आज बमुकाम भियाड में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजबेरा ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा राजबेरा के खसरा नं. 458 रकबा 20.08 बीघा किस्म बा.अव्वल में से 17.10 बीघा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 108/- पूर्णांक में अक्षरे एक सौ आठ रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना से आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 20.06.2025 को सरेआम सुनाया गया।

  
नायब तहसीलदार भियाड



न्यायालय नायब तहसीलदार भियाड, जिला बाड़मेर  
राजस्व प्रकरण मामला संख्या 64/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956  
सायल बनाम गैर सायल  
राजस्थान राज्य नूरा खां पिता रमजू खां  
जरिये पटवारी राजबेरा जाति मुसलमान निवासी धनोणी मे0की ढाणी।

“निर्णय”

दिनांक:-20.06.2025

पत्रावली आज बमुकाम भियाड में पेश हुई और गैर सायल उपस्थित पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजबेरा ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने मौजा धनोणी मे0 की ढाणी के खसरा नं. 689,690 रकबा 5.09 बीघा किस्म बा.सोयम में से 4.00 बीघा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 24/- पूर्णांक में अक्षरे चौबीस रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना से आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 20.06.2025 को सरैआम सुनाया गया।

  
नायब तहसीलदार भियाड

